

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 361/2025

श्री हंसराज पुत्र श्री हीराराम, निवासी टोडी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

—प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं।

—अप्रार्थी

आवेदन पत्र बाबत राज० उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय की पालना बाबत।

उपस्थित:—

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्रीमती अनामिका, विभागीय प्रतिनिधि— अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.09.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2025 में दिये निर्देशों की पालना में निम्न प्रकार पेश किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2025 में दिये गये निर्देशों की पालना में आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी हंसराज पुत्र हीराराम, निवासी टोडी, तहसील गुढागौडजी टोडी में राशन की दुकान संचालित करता हूँ। ग्राम पंचायत टोडी में राजनैतिक अनुशांषा के आधार पर खाद्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए तीसरी दुकान का आवंटन के आदेश निकाले गये हैं। मेरी पंचायत में वर्तमान में 633 राशन कार्ड है। खाद्य विभाग चलाये गये गिव अप अभियान में 54 राशन कार्डों को बन्द करवा दिया गया। 15 से 20 राशन कार्डों के उपभोक्ताओं ने पलायन कर दिया। 20 से 25 राशन कार्ड ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय ज्यादा होने के कारण अपात्र पाये गये हैं। अब मेरी वर्तमान दुकान में खाद्य सुरक्षा के राशन कार्डों की संख्या 500 और यूनिट 1800 है। अतः श्रीमान्जी की सेवामें प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं से विनम्र आग्रह है कि ग्राम पंचायत टोडी के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करें।

प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ने पत्रांक अभियोग/रसद/2025/865 दिनांक 04.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सी०बी० सिविल रिट पीटिशन संख्या 13053/2025 हंसराज, टोडी बनाम राजस्थान सरकार की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार सादर प्रेषित है कि ग्राम टोडी में नवसृजित उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन प्राप्त हुए। ग्राम टोडी में नवसृजित उचित मूल्य दुकान के लिए संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट ली गई। नवसृजित उचित मूल्य दुकान व अन्य श्रेणी की उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए प्रकिया की गई व निर्णय पारित किया गया। अपीलान्त श्री हंसराज के पास वर्तमान में ग्राम टोडी में खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित राशन कार्ड संख्या 633 व खाद्य सुरक्षा योजना चयनित यूनिट 2753 है।


बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2025 में दिये गये निर्देशों की पालना में आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रार्थी हंसराज पुत्र हीराराम, निवासी टोडी, तहसील गुढागौडजी टोडी में राशन की


जिला कलक्टर झुंझुनूं

दुकान संचालित करता हूँ। ग्राम पंचायत टोडी मे राजनैतिक अनुशंषा के आधार पर खाद्य विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए तीसरी दुकान का आवंटन के आदेश निकाले गये है। मेरी पंचायत मे वर्तमान मे 633 राशन कार्ड है। खाद्य विभाग चलाये गये गिव अप अभियान मे 54 राशन कार्डों को बन्द करवा दिया गया। 15 से 20 राशन कार्डों के उपभोक्ताओं ने पलायन कर दिया। 20 से 25 राशन कार्ड ऐसे है जिनकी वार्षिक आय ज्यादा होने के कारण अपात्र पाये गये है। अब मेरी वर्तमान दुकान मे खाद्य सुरक्षा के राशन कार्डों की संख्या 500 और यूनिट 1800 है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत टोडी के लिए जारी नवसृजित दुकान की विज्ञप्ति को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थीगण को राहत प्रदान करें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ग्राम टोडी स्थित उक्त दुकान पर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की संख्या कमशः 633 व यूनिट 2753 है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(9))खा0वि0/विधि/2012 दिनांक 26.12.2019 व 17(1)खा0वि0/विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 के अनुशरण मे 500 राशन कार्ड/2000 यूनिट पर अतिरिक्त दुकान के प्रावधान जारी है। उक्त दुकान पर राशन कार्ड व यूनिटों की संख्या निर्धारित संख्या से भी कम है। प्रकरण मे नियमानुसार अतिरिक्त राशन की दुकान सृजित किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टोडी स्थित उचित मूल्य श्री हंसराज को यथावत रखे जाने व अतिरिक्त दुकान नही सृजित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं